प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2012:CGHC:8

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>डी. बी.: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश</u>

<u>और माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायधीश</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 40/2005</u>

शरद गणवीर उर्फ़ धन धन

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय विचार के लिए</u>

सही

राधे श्याम शर्मा

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश</u>

मैं सहमत हूँ

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

सूचीबद्ध हेतु 10/05/2012

सही

राधे श्याम शर्मा

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डी. बी.: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

और माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 40/2005

अपीलकर्ता **:** शरद गणवीर उर्फ़ धन धन, पिता हेमचंद, उम्र लगभग 21 वर्षीय, निवासी गीतांजलि अपार्टमेंट, तारबहार, पुलिस थाना तारबहार, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी **:** छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :

श्री विनय दुबे, अपीलकर्ता के ओर से

श्री डी. के. ग्वालरे, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य के ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन)

निर्णय

(10 मई, 2012 को प्रदत्त)

प्रति राधे श्याम शर्मा, न्यायधीश

यह अपील सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 374/2003 में दिनांक 16-12-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त अथोपित निर्णय के अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ता शरद गणवीर उर्फ धन धन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए पाँच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अपीलकर्ता/अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

2.अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, इस प्रकार है

दिनांक 27-06-2003 को रात्रि 11:30 बजे, रविन्द्रकांत भारती (अ. सा.-10) ने थाना सिविल लाइंस, बिलासपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी -12) दर्ज कराई कि लगभग रात 10 बजे वह अपने घर से अपने भतीजे अभिनव भारती उर्फ मंटो (मृतक) को देखने निकले। उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता प्रदीप कामले (अ. सा.-2), सौरभ रजक (अ. सा.-3), अमित, गोलू एवं केशव गुप्ता के साथ धोबी लेन पुलिया के पास मोटरसाइकिल पर बैठा था। भतीजे के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वह आ जाएगा। इसके बाद वह पुलिया के पास स्थित भोला किराना दुकान पर जाकर बैठ गए। केशव गुप्ता अपीलकर्ता को अपनी मोटरसाइकिल पर आगे ले गया। मृतक अभिनव भारती उर्फ मंटो अपने अन्य मित्रों के साथ पोस्ट ऑफिस की ओर जाने लगा। सौरभ रजक (अ. सा.-3) और गोलू धोबीपारा की ओर चले गए। इस पर उन्होंने अपने भतीजे (मृतक) से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है? मृतक ने बताया कि उसे बात करने के लिए बुलाया गया है। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता ने कोन्हेर गार्डन के पास मृतक पर चाकू से हमला किया। प्रदीप कामले (अ. सा.-2), अमित एवं सौरभ रजक (अ.सा. -3) ने मृतक को छुड़ाने का प्रयास किया। चोट लगने के कारण मृतक पुलिया की ओर भागने लगा। इसके बाद अपीलकर्ता ने नई पुलिया (तिवारी क्लिनिक के पास) के निकट मृतक के पेट पर चाकू से दो बार और वार किया तथा वहां से फरार हो गया। इसके पश्चात प्रदीप कामले (अ. सा.-2), अमित और स्वयं उन्होंने मृतक को उठाकर एम्बुलेंस से उपचार हेतु अस्पताल ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-13) थाना सिविल लाइंस, बिलासपुर में दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी शासकीय अस्पताल, बिलासपुर पहुँचे तथा पंचों को सूचना (प्रदर्श पी.-5) दी। उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण (प्रदर्श पी -6) तैयार किया। शव को परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया (प्रदर्श पी.-15)। डॉ. एन. एस. चंदेल (अ. सा.-8) ने शव का परीक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी -8) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने मृत्यु का कारण हृदय पर लगी चोट से उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्राव एवं कार्डियोजेनिक शॉक बताया।

आगे की विवेचना में स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी -14) तैयार किया गया। सौरभ रजक (अ. सा.-3) का कथन पुलिस द्वारा प्रदर्श पी.-2 के तहत दर्ज किया गया। चाकू को डॉ. तिवारी के क्लिनिक के पास नई पुलिया के निकट से, शरद कश्यप (अ. सा.-5) एवं लोकेश शुक्ला की उपस्थिति में प्रदर्श पी.-4 के माध्यम से जब्त किया गया। अपीलकर्ता को प्रदर्श पी.-23 के तहत गिरफ्तार किया गया। उक्त चाकू को शासकीय अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. एन. एस. चंदेल (अ. सा.-8) ने उसका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-10) प्रस्तुत की। अपीलकर्ता का सूती कुर्ता प्रदर्श पी.-17 के माध्यम से जब्त

किया गया। जब्त सामग्री को परीक्षण हेतु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजा गया (प्रदर्श पी -20)। एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-25) द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें लेख A—चाकू, B—कुर्ता, C1—टी-शर्ट, C2— टी-शर्ट जैसी बनियान, C3—चड्डी (अंडरवियर) पर रक्त के धब्बे पाए गए।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उक्त न्यायालय ने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को विचारण हेतु उपार्पित किया, जहाँ सत्र न्यायाधीश ने विचारण कर अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराते हुए उपर्युक्तानुसार दंडित किया।

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री विनय दुबे ने तर्क प्रस्तुत किया कि मामले में कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। रविन्द्रकांत भारती (अ. सा.-10) मृतक के चाचा हैं, अतः वे अत्यंत हितग्राही साक्षी हैं। घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ था, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दोषसिद्धि का निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है और अपीलकर्ता को दोषमुक्त किए जाने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वैकल्पिक रूप से, अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। अभियोजन के संपूर्ण मामले को मान भी लिया जाए, तब भी अपीलकर्ता अधिकतम किसी लघु अपराध, विशेष रूप से धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में जगतार सिंह बनाम राज्य पंजाब (1983) 2 एस सी सी 342, बगड़ी राम बनाम मध्यप्रदेश राज्य ए आई आर 2004 एस सी 387, के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम केरल राज्य ए आई आर 1999 एस सी 1428, सुकुमार राय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए आई आर 2006 एस सी 3406 तथा रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य 2005 सीआरआई. एल. जे. 1742 (एस सी) के निर्णयों पर अवलंब लिया है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता श्री डी.के. ग्वालरे ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 374/2003 के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलकर्ता की धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि रविन्द्रकांत भारती (अ. सा.-10), आलोक पाटिल (अ. सा.-1), प्रदीप कामले (अ. सा.-2) एवं सौरभ रजक (अ. सा.-3) के साक्ष्यों पर आधारित है। यह विवादित नहीं है कि रविन्द्रकांत भारती (अ. सा.-10) मृतक के चाचा हैं, अतः वे मृतक के निकटतम संबंधी हैं।

<u>संबंधी और हितबद्ध साक्षी का साक्ष्य:</u>

6. **रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए आई आर 2011 एस सी 255** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "17. ... भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, किसी एक विश्वसनीय साक्षी द्वारा दिया गया प्रमाण अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकता है, जबकि आधा दर्जन साक्षियों द्वारा दिया गया प्रमाण, जो विश्वसनीय न हो, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह निस्संदेह सत्य है; परंतु जब किसी आपराधिक न्यायालय को ऐसे अपराध के साक्ष्यों से निपटना होता है जिसमें बड़ी संख्या में अपराधी और बड़ी संख्या में पीड़ित शामिल हों, तो आमतौर पर यह परीक्षण अपनाया जाता है कि दोषसिद्धि केवल तभी टिकाऊ होगी जब दो या तीन या अधिक साक्षियों द्वारा घटना का संगत विवरण प्रस्तुत किया गया हो। एक दृष्टि से, इस परीक्षण को यांत्रिक कहा जा सकता है; परंतु यह देखना कठिन है कि इसे तर्कहीन या अयुक्तियुक्त माना जाए।"

> **"**18. मुथु नायकर एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, ए आई आर 1978 एस सी 1647 में, इस न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जब किसी साक्षी पर बड़े संख्या में व्यक्तियों से मिलकर बनी विधि-विरुद्ध जमाव द्वारा हमला किया गया हो, तो न्यायालय को उस साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। यदि न्यायालय यह मानता है कि उस साक्षी का कथन मामले की वास्तविकताओं और परिस्थितियों के अनुसार विश्वसनीय नहीं है, तो इसे स्वीकार करने से पहले ऐसे कथन की एक या अधिक अन्य साक्षियों द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है।"

> 19.................. "किसी भी साक्ष्य का यह नियम नहीं है कि दोषसिद्धि केवल तभी हो सकती है जब कोई निश्चित न्यूनतम संख्या में साक्षियों ने किसी विशेष अभियुक्त को विधि-विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जमाव का सदस्य के रूप में पहचाना हो। यह स्वाभाविक सत्य है कि साक्ष्य की संख्या नहीं, बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है, और यह मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी एक साक्षी का कथन पूरी तरह विश्वसनीय है, तो वह किसी अभियुक्त को विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य के रूप में पहचानने के लिए पर्याप्त है। फिर भी, जब विधि-विरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा हो (जैसा कि इस मामले में है) और कई लोग घटना के साक्षी हों, ..."

7.**तक़दीर समसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, ए आई आर 2012 एस सी 37** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:"

10. xxxxx xxxxx xxxxx

(i) xxxxx xxxxx xxxxx

(ii) इस न्यायालय ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि सामान्य नियम के रूप में, यदि किसी एक साक्षी का कथन पूरी तरह विश्वसनीय हो, तो न्यायालय उसके कथन पर कार्रवाई कर सकता है। केवल एक साक्षी के कथन पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क है। लेकिन यदि साक्ष्य पर संदेह हो, तो न्यायालय पुष्टि की मांग करेगा। वास्तव में, महत्वपूर्ण मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है। परंपरागत सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाता बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता का तत्व है, क्या यह मजबूत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। कानूनी प्रणाली ने साक्ष्यों की संख्या या बहुलता पर नहीं बल्कि उनके मूल्य, महत्व और गुणवत्ता पर जोर दिया है। अतः सक्षम न्यायालय किसी एकल साक्षी के कथन पर पूरी तरह भरोसा कर दोषसिद्धि कर सकता है। इसके विपरीत, यदि साक्ष्य की गुणवत्ता पर संतोष नहीं है, तो कई साक्षियों के कथन होने के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।

8. **ब्रह्म स्वरुप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 2011 एस सी 280 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :-**"

"21. केवल इस कारण कि गवाह मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधी थे, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी पक्ष से उनका संबंध होना गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है; बल्कि सामान्यतः कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाएगा। किसी पक्ष को झूठे फँसाए जाने के संबंध में ठोस तथ्यात्मक आधार स्थापित करना होता है और निर्दोष, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे सिद्ध करना होता है। तथापि, ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य है या नहीं...

9. डॉ. एन.एस. चंदेल (अ. सा.–8), जिन्होंने शवपरीक्षण किया, ने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण हृदय पर लगी चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव तथा कार्डियोजेनिक शॉक था। यह चोट मृत्यु से पूर्व की थी। अतः यह विवादित नहीं है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

10. आलोक पाटिल (अ. सा.–1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने देखा कि अमित, सौरभ रजक (अ. सा.–3), प्रदीप कामले (अ. सा.–2), अभियुक्त तथा मृतक उसके घर के सामने पुलिया के पास खड़े थे। अभियुक्त और मृतक के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। मृतक के चाचा रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) को देखकर अभियुक्त और मृतक ने बातचीत बंद कर दी। इसके बाद अभियुक्त केशव की मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे चला गया। उसने आगे बताया कि उन्होंने देखा कि अभियुक्त और मृतक के बीच हाथापाई हो रही थी। उसने, अमित, सौरभ रजक (अ. सा.–3) और प्रदीप कामले (अ. सा.–2) ने अभियुक्त और मृतक को अलग किया। उसी समय रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) वहाँ आए और पूछा कि क्या हुआ? मृतक ने उन्हें बताया कि अभियुक्त ने उस पर हमला किया है। उसने आगे कहा कि उन्होंने देखा कि मृतक पुलिया के पास बेहोशी की अवस्था में पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। इसके बाद वहाँ एंबुलेंस आई और मृतक को अस्पताल ले जाया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. आलोक पाटिल (अ. सा.–1) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान अनुच्छेद 5 में अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक और अभियुक्त के बीच हाथापाई छत्तीसगढ़ भवन और कोन्हेर गार्डन के बीच, डाकघर के पास स्थित सड़क पर हुई थी।"

12. प्रदीप कामले (अ. सा.–2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह अपने घर से बाहर निकला और गली की पुलिया के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि अभियुक्त और मृतक के बीच बहस हो रही थी। वहाँ मृतक अभियुक्त को गाली दे रहा था। इसके बाद मृतक, अभियुक्त के पीछे चला गया। मृतक के चाचा (रविंद्रकांत भारती - अ. सा.–10) भोजा दुकान में बैठे थे। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे आगे

गए, तो उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ भवन के पास अभियुक्त और मृतक के बीच फिर से बहस हो रही थी। उसी समय रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) वहाँ आए। अभियुक्त वहाँ से नए पुल की ओर भाग गया। मृतक और रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। वह, आलोक पाटिल (अ. सा.–1), सौरभ रजक (अ. सा.–3) और अमित भी पुल की ओर गए। रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) पुल के पास ऑटो के लिए आवाज लगा रहे थे। उसी समय वहाँ एक एंबुलेंस आई और मृतक को अस्पताल ले जाया गया।"

13. सौरभ रजक (अ. सा.–3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि रात का खाना खाने के बाद वह टहलने के लिए चौक की ओर गया। उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर के पास उसकी मुलाकात अमित पाटिल से हुई। दोनों मोहल्ले के पास स्थित पुल की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मृतक और अभियुक्त के बीच विवाद चल रहा था। उसी समय मृतक के चाचा (रविंद्रकांत भारती - अ. सा.–10) वहाँ आ गए। चाचा को देखकर अभियुक्त और मृतक शांत हो गए। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे डाकघर के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ भी अभियुक्त और मृतक के बीच विवाद हो रहा था। उसने यह भी बताया कि जब रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ने मृतक से पूछा कि क्या हुआ, तो मृतक ने बताया कि अभियुक्त ने उस पर हमला किया और भाग गया। रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ऑटो के लिए आवाज लगा रहे थे। उन्होंने देखा कि मृतक वहीं पड़ा हुआ था।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. सौरभ रजक (अ. सा.–3) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान अनुच्छेद 7 में अभिसाक्ष्य दिया कि जब उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन के पास अभियुक्त और मृतक के बीच हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तब उन्होंने मृतक के शरीर से खून बहते हुए नहीं देखा। यह सत्य है कि रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) और मृतक ने अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया था। उसने यह नहीं देखा कि मृतक ने पुल के पास चौक पर अभियुक्त को पकड़ लिया था। यह कहना गलत है कि रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ने पुल के पास चौक पर चाकू से अभियुक्त पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन अभियुक्त पकड़ा नहीं जा सका और वह भाग गया तथा चाकू मृतक के सीने पर लग गया। यह सत्य है कि उस रात मृतक और अभियुक्त के बीच दो बार विवाद हुआ था।

15. रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि को लगभग रात 9:30 बजे मृतक अपने घर पर था और उसकी माँ उसे भोजन परोसने वाली थीं। उसी समय मृतक का मित्र

प्रदीप कामले (अ. सा.–2) घर आया और उसने मृतक को बुलाया। मृतक अपनी माँ से यह कहकर घर से बाहर गया कि वह 10 मिनट में वापस आ जाएगा और उसके बाद भोजन करेगा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह भी घर से बाहर आया और धोबी लेन के पास देखा कि वहाँ भीड़ एकत्रित थी और 7-8 लोग खड़े थे। उस भीड़ में प्रदीप कामले (अ. सा.–2), सौरभ रजक (अ. सा.–3), अमित पाटिल, आलोक पाटिल (अ. सा.–1) और मनोज कामले उपस्थित थे तथा अभियुक्त केशव गुप्ता की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। उसने आगे कहा कि लगभग 10 मिनट बाद उसने फिर मृतक को घर आने के लिए बुलाया। मृतक ने उससे कहा कि वह उनकी आपसी गलतफहमी दूर करके वापस आ जाएगा। उसी समय केशव गुप्ता अभियुक्त को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मुख्य डाकघर की ओर ले गया। मृतक को सौरभ रजक (अ. सा.–3), प्रदीप कामले (अ. सा.–2), अमित पाटिल, आलोक पाटिल (अ. सा.–1) और मनोज कामले साथ ले जा रहे थे। उसने मृतक से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है और वह भी उनके पीछे-पीछे डाकघर की ओर चल पड़ा। छत्तीसगढ़ भवन और कोन्हेर गार्डन के बीच एक ट्रांसफॉर्मर के पास भीड़ एकत्रित थी, जहाँ मृतक और अभियुक्त भी मौजूद थे। वह कुछ दूरी पर था। उसने देखा कि अभियुक्त ने चाकू से मृतक पर हमला किया। उसने 'क्या हो रहा है' कहते हुए शोर मचाया। मृतक अपने दोस्तों से बचने के लिए पुताली स्कूल के रास्ते नदी की ओर भागा। अभियुक्त, चाकू लेकर, और अन्य लोग मृतक के पीछे भागे। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि हड्डी में तेज दर्द होने के कारण वह दौड़ने में असमर्थ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने पुल के पास स्थित डॉ. तिवारी के घर के सामने सड़क पर मृतक पर पुनः चाकू से हमला किया। वह अभियुक्त को पकड़ने के लिए दौड़ा। अभियुक्त चाकू फेंककर भागने लगा। उसने आगे बताया कि जब उसने मृतक को देखा, तो वह गिर चुका था और उसके शरीर से खून बह रहा था। उस समय हल्की बारिश हो रही थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक को एंबुलेंस से जिला अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी -12) दर्ज कराई।

17. रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान अनुच्छेद 7 में अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह छत्तीसगढ़ भवन के पास पहुँचा, तब मृतक, अभियुक्त और उनके मित्रों के बीच विवाद चल रहा था। अनुच्छेद 8 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त मृतक पर चाकू से हमला कर रहा था। अनुच्छेद 14

में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने मृतक पर चाकू से दो बार हमला किया था, लेकिन मृतक को केवल एक ही चोट लगी थी।"

18. डॉ. एन.एस. चंदेल (अ. सा.–8) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी –8) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने पाया कि छाती के सामने बाईं ओर, निप्पल से 2 सेमी नीचे, पाँचवीं और छठी पसली के बीच एक **चाकू का घाव** था, जिसका आकार अंडाकार था और तिरछे रूप में स्थित था। उन्होंने अभिमत दिया कि मृतक की मृत्यु का कारण हृदय में लगी चोट के कारण रक्तस्राव और कार्डियोजेनिक शॉक था।

19. हमने रविंद्रकांत भारती (अ. सा.–10) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन में अभियुक्त ने मृतक पर चाकू से हमला किया। उनके साक्ष्य की पुष्टि आलोक पाटिल (अ. सा.–1), प्रदीप कामले (अ. सा.–2) और सौरभ रजक (अ. सा.–3) के साक्ष्य से, साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य और प्रथम सुचना प्रतिवेदन से भी होती है। चिकित्सीय साक्ष्य से यह पाया जाता है कि मृतक की मृत्यु का कारण हृदय में लगी चोट के कारण रक्तस्राव तथा कार्डियोजेनिक शॉक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अतः, हमें माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं प्रतीत होती कि अभियुक्त ने ही चाकू से मृतक के शरीर पर चोट पहुँचाई थी। मृतक की मृत्यु अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोट के कारण हुई।

21. अब हम इस मामले का परीक्षण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के संदर्भ में धारा 304 के साथ करेंगे।"

22. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय दुबे ने तर्क दिया कि मृतक और अभियुक्त के बीच कुछ विवाद हुआ था और अभियुक्त ने मृतक को चाकू से एक ही वार किया था। अतः अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा, बल्कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा।"

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 उन मामलों में दंड का प्रावधान करती है, जहाँ आपराधिक मानव वध हत्या के अंतर्गत नहीं आता। यह उन मामलों के बीच अंतर स्पष्ट करती है, जहाँ हत्या करने

का आशय मौजूद होता है, परंतु वह कृत्य धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत आने के कारण हत्या नहीं माना जाता, तथा उन मामलों के बीच भी, जहाँ अपराध आपराधिक मानव वध है, परंतु हत्या नहीं —अर्थात जहाँ यह ज्ञान होता है कि कृत्य के परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु कारित करने का आशय या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय, जिससे मृत्यु हो सकती है, अनुपस्थित होता है। धारा 304 का पहला भाग तब लागू होता है, जब 'आशय' मौजूद होता है, जबकि दूसरा भाग तब लागू होता है, जब 'ज्ञान' तो होता है, परंतु आशय नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 304 के किसी भी भाग के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले यह स्थापित करना आवश्यक है कि उसकी वजह से मृत्यु धारा 300 के पाँच अपवादों में से किसी एक परिस्थिति में हुई हो। इन अपवादों में शामिल हैं—गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण खोकर की गई कार्रवाई, सद्भावना में निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय, या बिना पूर्व-नियोजन के, आवेश में अचानक हुई लड़ाई के दौरान हुई मृत्यु। किसी कृत्य के परिणामों के बारे में 'ज्ञान' होना और 'आशय' होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। 'आशय' का अर्थ है किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना, जबकि 'ज्ञान' का अर्थ है यह समझ होना कि किसी कार्य से कोई विशेष परिणाम हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. **जगतार सिंह (पूर्वीक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "8. अगला प्रश्न यह है कि अपीलकर्ता द्वारा कौन-सा अपराध कारित किया गया है? एक साधारण झगड़े में अपीलकर्ता ने चाकू जैसे घातक हथियार का उपयोग किया। यह घटना लगभग दोपहर 1:45 बजे हुई। झगड़ा मामूली प्रकृति का था, फिर भी अपीलकर्ता ने चाकू से छाती पर वार किया। इन परिस्थितियों में यह उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता को कम से कम यह ज्ञान था कि वह ऐसी चोट पहुंचा रहा है, जो मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत अपराध किया है, और पाँच वर्ष का कारावास न्याय हित में की पूर्ति के लिए उपयुक्त होगा।

25. **सतीश नारायण सावंत बनाम गोवा राज्य, (2009) 17 एसी सी 724** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"40. उपरोक्त सुस्थापित विधिक स्थिति के होने से, जब हम इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य का परीक्षण करते हैं, तो हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं हो पाते। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। घटना स्थल एक ऐसा आवासीय स्थान है जहाँ दोनों पक्ष रहते थे, और अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक के पास किसी प्रकार का हथियार था। प्रारंभ में अपीलकर्ता-अभियुक्त के पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन घटना के दौरान वह अंदर गया और चाकू लाकर उसी से मृतक को घायल किया। अ. सा.-7 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु चाकू के वार से हुई चोट संख्या 1 के कारण हुई, जबकि अन्य सभी चोटें सतही प्रकृति की थीं। अतः केवल 1 चोट ही घातक थी। तथ्यात्मक रूप से, केवल एक मुख्य चोट चाकू से दी गई थी और वह भी मृतक की पीठ की ओर दी गई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता का हत्या करने का कोई आशय था या किसी विशेष गंभीरता की चोट पहुँचाने का उद्देश्य था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. **बुन्नीलाल चौधरी बनाम बिहार राज्य, (2006) 10 एस सी सी 639** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"11. उस धारा के अनुसार यह आवश्यक है कि जो शारीरिक चोट पहुँचाई गई है, वह इरादतन पहुँचाई गई हो तथा वह चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। इस उपधारा के दो भाग हैं— पहला भाग व्यक्तिपरक है, जो यह दर्शाता है कि चोट इरादतन होनी चाहिए, न कि आकस्मिक; दूसरा भाग वस्तुनिष्ठ है, जिसमें न्यायालय को यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि जिस चोट को पहुँचाने का आशय था, वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। हमारा मत है कि पहला भाग पूरा होता है, क्योंकि जो चोट पहुँचाने का आशय था, वही शंभू राउत के शरीर पर पाई गई। किन्तु दूसरा भाग हमारे विचार में पूरा नहीं होता, क्योंकि यदि वह चोट फेफड़े को भेदती नहीं, तो संभवतः मृत्यु नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने पर, जो चोट बन्नीलाल चौधरी पहुँचाना चाहता था, उसमें विशेष रूप से बाएँ फेफड़े को काटने का उद्देश्य शामिल नहीं था, बल्कि बाएँ सीने के निप्पल के आसपास के क्षेत्र में शंभू राउत को घायल करना था। अतः हमारा

मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की उपधारा (iii) इस मामले पर लागू नहीं होती। चूँकि मृत्यु करित हुई है, इसलिए मामला कम से कम 'गैर-इरादतन हत्या' के अंतर्गत अवश्य आएगा न कि हत्या। इस संदर्भ में धारा 299 तीन भागों में विभाजित है— पहला भाग उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ किसी कार्य को मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, बन्नीलाल चौधरी का मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, इसलिए धारा 299 का पहला भाग लागू नहीं होता। द्वितीय भाग उस आशय से संबंधित है जिसमें ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने का उद्देश्य हो जो मृत्यु कारित करने की संभावना रखती हो। यहाँ भी आवश्यक है कि उद्देश्य उसी विशिष्ट प्रकार की चोट पहुँचाने का हो जो मृत्यु का कारण बन सकती है, और जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है, बुनिलाल चौधरी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अतः यह मामला तृतीय भाग के अंतर्गत आता है। किया गया कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया था कि बुनिलाल चौधरी द्वारा ऐसा करने से शंभू राउत की मृत्यु होने की संभावना थी। इसलिए यह प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तृतीय भाग के अंतर्गत आता है और धारा 304 के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय है, जो कि हत्या के समकक्ष न होने वाला आपराधिक मानव वध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. वर्तमान मामले में, रविंद्रकांत भारती (अ. सा.-10), आलोक पाटिल (अ. सा.-1), प्रदीप कामले (अ. सा.-2) तथा सौरभ राजक (अ. सा.-3) के साक्ष्य को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। यह झगड़ा लगातार दो स्थानों पर हुआ और उसी क्रम में अपीलकर्ता ने मृतक के सीने पर चाकू से एक ही वार किया। हालाँकि, यह सुस्पष्ट कि अपीलकर्ता की मृतक के प्रति कोई शत्रुता (द्वेष) नहीं थी और वह केवल उनके बीच हुए किसी विवाद के कारण इस घटना में शामिल हुआ। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, केवल एक ही चाकू का छिद्रित घाव पाया गया, जो बाएँ सीने के सामने की ओर, निप्पल से 2 सेमी नीचे, पाँचवीं और छठी पसली के बीच मापा गया था। इन परिस्थितियों में यह मानना कठिन है कि अपीलकर्ता ने यह प्रश्नाधीन वार मृतक की हत्या करने के आशय से किया था या उसने मृतक के हृदय पर वही विशेष चोट पहुँचाने का आशय किया था, जो घातक सिद्ध हुई। तथापि, अपीलकर्ता के इस कृत्य से यह आवश्यक ज्ञान अवश्य अनुमानित होता है कि इससे मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में, अभियोजन के कथन को स्वीकार करते हुए भी, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित नहीं किया, बल्कि वह धारा 304 के भाग II के अंतर्गत दंड का भागी है।"

28. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं सजा को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, अपीलकर्ता को धारा 304 के भाग II के अंतर्गत सिद्धदोष पाया जाता है और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।"

सही	सही
सुनील कुमार सिन्हा	आर. एस. शर्मा
न्यायधीश	न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Shikha Kaushik